न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2020 / 00257 दर्ज तिथिः–30.07.2020

1. भमला पुत्र भौरा जाति गुर्जर निवासी दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ....वादी

बनाम

1. तेजपाल पुत्र भौरा
2. बीलाराम पुत्र भौरा
3. कल्लूराम पुत्र भौरा
4. मोहनलाल पुत्र भौरा
5. झब्बूराम पुत्र भौरा
6. कानाराम पुत्र भौरा
7. मानसिंह पुत्र कल्लूराम
8. जगराम पुत्र बीलाराम
9. जीतराम पुत्र कल्लूराम
10. लेखराज पुत्र तेजपाल

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 ....असल प्रतिवादीगण

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0 ....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्तागणः–
वादी :– श्री महेशचन्द शर्मा।
प्रतिवादी :–श्री कौशल भारद्वाज।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:35 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 20.07.2023

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 532/0.38 है0 वाकै ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की जाती है तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। अन्त में निवेदन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे।

2. वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित होकर पेश किया। जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त भी न तो जवाब दावा प्रस्तुत किया न स्वयं उपस्थित हुये। अतः प्रतिवादीगण का जवाब बन्द कर उनके विरूद्ध एकतरफा–कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद–पत्र साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया एवं वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में वादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया गया एवं प्रकरण में बहस करने हेतु निवेदन किया गया।

3. वाद–पत्र में विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 532/0.38 है0 वाकै ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करें। अन्त में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. मैंने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया । वादी अधिवक्ता द्वारा वाद–पत्र की पुष्टि में जमाबंदी संवत् 2076–79 खसरा संख्या 532/0.38 है0 वाकै ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है तथा वादी का यह कथन भी उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:35 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैः–

1. ***स्वामित्व एवं कब्जाः–*** वाद पत्र पर शामिल दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2076–79 हाल आराजी खसरा संख्या 532/0.38 है0 वाकै ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी पेश की है। मुताबिक जमाबन्दी विवादित आराजी खसरा संख्या 532/0.38 है0 वाकै ग्राम दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से वादी की खातेदारी आराजी साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादी का स्वामित्व अविवादित है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का ही आराजी पर कब्जा होना स्वतः साबित तथ्य है।
2. ***सुविधा का संतुलनः–*** मुतनाजा आराजी पर वादी की खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण का कब्जा स्पष्ट साबित होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन भी परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी वादी के पक्ष में होना स्पष्ट है।

3. ***अपूरणीय क्षतिः–*** वादीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उक्त मुतनाजा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। परिणामस्वरूप उक्त शर्त भी संतुष्ट होती है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि–

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत *स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी* आराजी खसरा संख्या 532/0.38 है0 वाकै ग्राम दुहारमा ***तहसील*** **थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।**
इसी अनुसार पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु संबंधित को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे–इजलास सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:35 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2020 / 00257 दर्ज तिथिः–30.07.2020

1. भमला पुत्र भौरा जाति गुर्जर निवासी दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
.............वादी

बनाम

1. तेजपाल पुत्र भौरा
2. बीलाराम पुत्र भौरा
3. कल्लूराम पुत्र भौरा
4. मोहनलाल पुत्र भौरा
5. झब्बूराम पुत्र भौरा
6. कानाराम पुत्र भौरा
7. मानसिंह पुत्र कल्लूराम
8. जगराम पुत्र बीलाराम
9. जीतराम पुत्र कल्लूराम
10. लेखराज पुत्र तेजपाल
समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान दुहारमाला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
..........असल प्रतिवादीगण
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0
..........तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्तागणः–
वादी :– श्री महेशचन्द शर्मा।
प्रतिवादी :–श्री कौशल भारद्वाज।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:35 IST
Reason: SelfAttested

भमला बनाम तेजपाल

2020/00257

निर्णय तिथिः–20.07.2023

:–पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत *स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी* आराजी खसरा संख्या 532/0.38 है0 वाकै ग्राम दुहारमाला थानागाजी जिला अलवर की आराजी पर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने–जोतने, काटने, लाने–ले जाने में रूकावट मजाहमत न करें। साथ ही प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करें और ना ही कृषि भूमि को अकृषि बनावें।

उक्त पर्चा डिक्री की प्रति संबंधित को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करेंगे।

उक्त पर्चा डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 20.07.2023 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त सरे–इजलास जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:10:35 IST
Reason: SelfAttested